भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या :1191
गुरूवार, 9 फरवरी, 2023/20 माघ, 1944 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा प्रशिक्षण की निगरानी

1191. श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) का भविष्य की मांगों को पूरा करने और कर्मचारियों को अद्यतन करने के लिए देश में प्रशिक्षण संगठनों की निगरानी बढ़ाने का विचार है और वर्ष 2014 से आज तक सभी हितधारकों के लिए सेमिनार/कार्यशालाएं और अन्य पाठ्यक्रम आयोजित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है और यदि नहीं, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डा.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क) और (ख): नागर विमानन महानिदेशालय विमान रखरखाव प्रशिक्षण संगठनों, उड़ान प्रशिक्षण संगठनों, अनुमोदित प्रशिक्षण संगठनों-पायलट टाइप रेटिंग (एटीओ), विमान यातायात सेवा प्रशिक्षण संगठनों (एटीएसटीओ) तथा ड्रोन प्रशिक्षण संगठनों की निगरानी करता है।

निगरानी इस प्रकार से की जाती है कि ये संगठन, उन नियामक अपेक्षाओं का अनुपालन करते रहें जिनके सापेक्ष उन्हें प्रारंभ में अनुमोदित किया गया था, यह कार्य निगरानी, ऑडिट, स्पॉट चेक आदि के माध्यम से किया जाता है।

गैर-अनुपालन के मामले में, नागर विमानन महानिदेशालय, संगठनों/कार्मिकों के विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाई प्रारंभ करता है जिसमें वित्तीय जुर्माना लगाने के साथ-साथ चेतावनी, निलंबन (संस्पेंशन) और निरस्तीकरण (कैंसिलेशन) शामिल हो सकते हैं। नागर विमानन महानिदेशालय यह भी सुनिश्चित करता है कि गैर-अनुपालना वाली मदों पर, ऐसे प्रशिक्षण संगठनों द्वारा सुधार की कार्रवाई कर ली जाए।

नागर विमानन महानिदेशालय भविष्य की मांगों को पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए, समय-समय पर, यूरोपीय यूनियन एविशन सेफ्टी एजेंसी (ईएएसए), नियमावली और अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) की अपेक्षाओं के अनुरूप नियमों में संशोधन करता है।

****